

राजस्थान राज्य उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला - टोंक

(पी. एच. डी. अधिकारी) राजस्थान राज्य गृहण बोर्ड R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशन नम्बर - १०१/२०२१

निर्णय दिनांक :-

उनवासी प्रार्थना पत्र :

११-११-२०२१

शुब्बा

बनाम तहसीलदार.....इ.जी.

उपरिनिर्दिष्ट
शर्मा

तहसीलदार.....इ.जी.


प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट

::: आदेश :::

शुब्बा पुत्र देवी ने निवासी शुब्बा ने प्रशासन गांवो के गांव के कैम्प/राजस्थान में पेश कर निवेदन किया है कि वाके ग्राम शुब्बा जमाबंदी नम्बर २०७७ के खाता संख्या ५३७ में दर्ज प्रार्थी का नाम शुब्बा पुत्र देवी के स्थान पर शुब्बा पुत्र देवी दुरुस्त कर रिकॉर्ड बनाने हेतु पेश किया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया एवं पत्रावली पर न्यायिक दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रकरण की जांच तहसीलदार.....इ.जी. से कराई गई। तहसीलदार.....इ.जी. ने पटवार हल्का शुब्बा व भू०अ०नि० शुब्बा की रिपोर्ट में प्रार्थी का नाम उक्त राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त इन्द्राज करने की अभिशंका की। प्रकरण परिचित पत्रावली मजमेआत में प्रार्थी के वास्तविक नाम के सम्बंध में जानकारी ली गई। तहसीलदार.....इ.जी. से प्राप्त पत्रावली मय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1957 की धारा 136 एवं राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम 1957 की धारा 369 का स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्रुप -6 विभाग, राजस्थान जयपुर के परिपत्र क्रमांक:- 4(1)राज/२०२/19 के अहत तहसीलदार.....इ.जी. को वाके ग्राम शुब्बा जमाबंदी नम्बर २०७७ के खाता संख्या ५३७ में दर्ज शुब्बा पुत्र देवी के स्थान पर शुब्बा पुत्र देवी दुरुस्त कर रिकॉर्ड बनाने हेतु अनुमत किया जाता है। निर्णय/आदेश की छाया प्रति तहसीलदार.....इ.जी. को भेजना प्रेषित हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो दाखिल कर ली है।

निर्णय शुब्बा के इजलास, कैम्प ११-११-२०२१ में सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी
देवली